पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 23.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री तार किशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री सुनील कुमार पिन्टू, स०वि०स० श्रीमती सुखदा पांडेय, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स०	"राज्य भर के नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत) के ससक्त स्थायी समिति में स्थानीय विधायक पदेन सदस्य होते हैं । लेकिन नगर निकायों के ससक्त स्थायी समिति में विधायक पदेन सदस्य नहीं होते हैं । ससक्त स्थायी समिति को ज्यादा अधिकार दिये जाने के कारण विकास संबंधी अधिकांश निर्णय ससक्त स्थायी समिति में ही हो जाते हैं । जिसके कारण विधायकों को विकासात्मक कार्य की जानकारी निर्णय हो जाने के बाद मिलती है । जिससे विधायक क्षेत्र की समस्या को स्थायी समिति में रखने से वंचित हो जाते हैं । अतः नगर निकायों के ससक्त स्थायी समिति में भी बोर्ड के तर्ज पर पदेन सदस्य के रूप में स्थानीय विधायकों को बनाए जाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	नगर विकास एवं आवास

1	2	3	4
2.	श्री कृष्ण कुमार, स०वि०स० श्री राजेश सिंह, स०वि०स० डॉ० अरूण कुमार, स०वि०स० श्री शिवजी राय, स०वि०स० श्री संतोष कुमार निराला, स०वि०स० श्री अजय प्रताप, स०वि०स०	"बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के तत्वावधान में डोरीगंज-बबुरा 4 कि०मी० लम्बा पुल बनाया जा रहा है । यह पुल छपरा और आरा दो जिलों को जोड़ता है, जबकि नदी के दूसरे छोर दियारा में भोजपुरी के अमर कलाकार तथा भोजपुरी के शेक्सपीयर कहे जाने वाले स्व० भिखारी ठाकुर जी की जन्म भूमि कुतुबपुर ग्राम के साथ ही तीन पंचायत ऐसे हैं, जिनकी जमीन पर पुल तो बनना प्रारम्भ हो गया, परन्तु उक्त तीन पंचायत के लगभग 35,000 की आबादी इस पुल के लाभ से वंचित रह जाएगें । अतः भिखारी ठाकुर जी की ग्राम-कुतुबपुर को उक्त पुल से जोड़ कर उस अमर कलाकार को सम्मानित करने तथा 35,000 जनता को सुविधा प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/14- 1095 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/14- 1095 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

22.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।